



फतेहगढ़ पुलिस



प्रेस नोट- IGRS रैंकिंग

दिनांक :- 04.02.2025

समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली (IGRS) में जनपद फतेहगढ़ का प्रदेश में माह जनवरी में 2025 प्रथम स्थान...

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक कानपुर रेंज, कानपुर श्री जोगेन्द्र कुमार के कुशल पर्यवेक्षण, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक/अधीक्षक फतेहगढ़ श्री आलोक प्रियदर्शी के मार्गदर्शन में जनपद फतेहगढ़ में समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली(IGRS) के माध्यम से प्राप्त होने वाली शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण करने में माह जनवरी 2025 में जनपद फतेहगढ़ द्वारा प्रदेश स्तर पर प्रथम स्थान, जोन स्तर पर प्रथम स्थान, तथा थाना-वार रैंक में जनपद फतेहगढ़ के समस्त थानो द्वारा प्रथम स्थान प्राप्त किया गया।



जिनका विवरण निम्नवत है:-

कोतवाली फरुखाबाद, कोतवाली फतेहगढ़, थाना मऊदरवाजा, थाना कादरीगेट, महिला थाना, कोतवाली कायमगंज, थाना शमसाबाद, थाना मेरापुर, थाना कम्पिल, थाना कमालगंज, थाना अमृतपुर, थाना राजेपुर, कोतवाली मोहम्मदाबाद, थाना जहानगंज, थाना नवाबगंज, साइबर थाना फरुखाबाद द्वारा सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया गया।

आईजीआरएस कार्यालय में नियुक्त अधि/0कर्मचारीगण:-

1. निरीक्षक अवध नरायण पाण्डेय
2. कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड –ए अंकित कुशवाहा
3. मु0आरक्षी दिलीप कुमार
4. आरक्षी अभिषेक कुमार
5. आरक्षी बालकिशन
6. आरक्षी विजय कुमार
7. आरक्षी विवेक कुमार

श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जनपद के समस्त सर्किल/थाना एवं आईजीआरएस कार्यालय में नियुक्त अधिकारीगण/कर्मचारीगण को पुरस्कृत किया गया।

मीडिया सेल फतेहगढ़।



फतेहगढ़ पुलिस



प्रेस नोट -कोतवाली कायमगंज

दिनांक :- 04.02.2025

**कोतवाली कायमगंज पुलिस द्वारा नाबालिग के साथ दुराचार करने वाले
वांछित बाल अपचारी को किया गया गिरफ्तार।**

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक कानपुर रेंज, कानपुर श्री जोगेन्द्र कुमार के कुशल पर्यवेक्षण, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक/श्रीमान पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ श्री आलोक प्रियदर्शी के मार्गदर्शन, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक श्री डॉ० संजय सिंह व क्षेत्राधिकारी कायमगंज श्री संजय वर्मा के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 31.01.25 को कोतवाली कायमगंज पर पंजीकृत मु०अ०स०-19/25 धारा 64/351(3)/352/61(2) बीएनएस, 3/4 पाक्सो एक्ट, 3(1)(द)(ध),3(2)(V) SC/ST ACT में वांछित बाल अपचारी को गिरफ्तार कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही अमल में लायी जा रही है।



घटना का संक्षिप्त विवरण – वादिनी की तहरीर के आधार पर वादिनी की पुत्री रात्रि के समय कथा सुनने गयी थी। वादिनी की नाबालिग पुत्री सड़क के उसपार पेशाब करने गयी थी, तभी बाल अपचारी द्वारा सरसो के खेत में ले जाकर बलात्कार करना, जाति सूचक गाली गलौज करना व जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 19/25 धारा 64/351(3)/352/61(2) बीएनएस 3/4 पाक्सो एक्ट 3(1)(द) (ध)3(2)(V) SC/ST ACT दिनांक 30.01.2025 कोतवाली कायमगंज में पंजीकृत कराया गया था। विवेचना के क्रम में पीडिता के बयान अन्तर्गत धारा 180/183 बीएनएसएस के आधार पर बाल अपचारी को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही अमल में लायी जा रहा है।

पूछताछ का विवरण:-

अपनी सफाई वकील के माध्यम से माननीय न्यायालय मे देना बताया।

बाल अपचारी का आपराधिक इतिहास :-

1. मु0अ0सं0-19/25 धारा 64/351(3)/352/61(2) बीएनएस 3/4 पाक्सो एक्ट 3(1)(द) (ध)3(2)(V) SC/ST ACT कोतवाली कायमगंज जनपद फतेहगढ़।

गिरफ्तार करने वाली कोतवाली कायमगंज पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 प्रमोद कुमार
2. का0 धर्मेन्द्र

मीडिया सेल फतेहगढ़।



फतेहगढ़ पुलिस



Meticulous Investigation & Prosecution

#OperationConviction

को० मोहम्मदाबाद

दि०- 04.02.2025

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० लखनऊ महोदय के निर्देशन में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारो को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्त रमेश सिंह पुत्र रामवक्स सिंह निवासी कुवेरपुर डूगरसी कोतवाली मोहम्मदाबाद जनपद फतेहगढ़ मु०अ०सं०-258/1994 वाद स०- 002/2025 धारा- 498ए, 304बी, 201,176 भा०द०वि० व 3/4 डीपी एक्ट को० मोह० जनपद फतेहगढ़ में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र मा० न्यायालय में प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार /कोर्ट मोहरीर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए दिनांक 04.02.2025 को मा० न्यायालय एडीजे-5 कोर्ट फरूखाबाद द्वारा अभियुक्त को दोषसिद्ध कर 07 वर्ष का कठोर कारावास की सजा व 22 हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



एडीजीसी- श्री भानुप्रकाश मिश्र



को०मो० का० पियूष कुमार



पैरोकार - का० गुलाम गैस



